संख्याःएस0एम0जे0–120 / 2012–13–(बड)आरडीडी– 7312-23
ग्रामीण विकास विभाग,हिमाचल प्रदेश सरकार
27–एस0डी0काम्पलैक्स, शिमला–171009

प्रेषकः

निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश

प्रेषितः

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला–9, 20 सितम्बर, 2021

विषयः ग्राम पंचायतों की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13–07–2018 में निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष अप्रैल माह में होने वाली ग्राम सभा की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी । अप्रैल, 2021 में होने वाली ग्राम सभा बैठक में बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा करने से सम्बन्धित दिशानिर्देश समसंख्यक पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2021 को जारी किए गए थे परन्तु Covid-19 महामारी के दृष्टिगत अप्रैल माह में ग्राम सभा बैठक का आयोजन नहीं हो सका ।

अब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों की बी0पी0एल0 सूचियों की समीक्षा 02 अक्तूबर को होने वाली ग्राम सभा बैठक में की जाएगी । अतः आपसे अनुरोध है कि जिला की प्रत्येक ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा सरकार के उक्त निर्देशानुसार करवाना सुनिश्चित करने की कृपा करें । बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया से सम्बन्धित दिशानिर्देश संलग्न है ।

संलग्नः उपरोक्त

भवदीय

निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग,
हिमाचल प्रदेश

7324-7433

पृ0संख्या एस0एम0जे0–120 / 2012–13–(बड)आरडीडी. दिनांक शिमला–9, 20 सितम्बर,2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. अतिरिक्त निदेशक,पंचायती राज विभाग,हि0प्र0 को इस अनुरोध सहित कि 'बी0पी0एल0 सूची की ग्राम सभा द्वारा समीक्षा' को 02 अक्तूबर को निर्धारित ग्राम सभा बैठक की कार्यसूची में शामिल किया जाये।
2. समस्त उप निदेशक एंव परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हि0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,हिमाचल प्रदेश ।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश ।
5. गार्ड फाईल ।

निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–9
(email:rddhimachal@gmail.com Phone:0177-2623820)

ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा हेतु दिशा–निर्देश

- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी बी0पी0एल0 सर्वेक्षण गाईडलाईन 2002 के प्रावधान (If any household crosses the cut-off score on a sustainable basis, that household may be deleted from the BPL list. Such review for deletions may be made by the concerned Gram Sabha once in a year) के दृष्टिगत विभागीय अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई,2018 में निर्णय लिया गया कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले (BPL) चयनीत परिवारों की सूची की समीक्षा ग्राम सभा द्वारा हर वर्ष अप्रैल माह में आयोजित होने वाली प्रथम बैठक में की जाएगी ताकि सूची में चयनीत परिवारों की पात्रता का पुनरावलोकन करते हुए अपात्र पाए जाने वाले परिवारों के नाम सूची से हटाये जा सके तथा पात्र परिवारों का ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची में चयन सुनिश्चित हो सके ।
- Covid-19 pandemic के कारण अप्रैल,2021 की ग्राम सभा बैठक में सूचियों की समीक्षा न हो पाने के कारण यह कार्य अब 02 अक्तूबर, 2021 की ग्राम सभा बैठक में किया जायेगा ।
- बी0पी0एल0 सूची में पात्र परिवारों के चयन को सुनिश्चित करने बारे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले परिवारों का चयन बी0पी0एल0 सूची में नहीं किया जाएगा :–
    - ऐसे परिवार जिनके पास दो हैक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक हैक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो ।
    - ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का/बड़ा निजी मकान हो।
    - जिस परिवार का कोई सदस्य आयकर देता हो।
    - जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन जैसे कि कार, मोटर, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और बस इत्यादि हो।
    - जिस परिवार की वेतन,पैन्शन,भत्ते,मानदेय,मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आमदन 2500/–रू0 से अधिक हो । ऐसे परिवार जो पंचायत के कार्य में मस्ट्रोल पर कार्य करते हों, बी0पी0एल0 सूची में चयन हेतु अपात्र नहीं होगें क्योंकि वे केवल सीजनल रोजगार प्राप्त करते हैं ।
    - ऐसा परिवार जिनके घर से कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या अनुबन्ध पर कार्यरत हो तथा जिसकी नियमित मासिक आमदन 2500/–रू0 से अधिक हो ।

- ग्राम सभा बैठक की तिथि से 07 दिन पूर्व बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा किए जाने का नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा और इसे सर्वसाधारण की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाये । वार्ड सदस्यों के माध्यम से भी इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के समस्त घरों को दिये जाना सुनिश्चित किया जायगा ।
- इस नोटिस में बी0पी0एल0 सूची में नाम शामिल करने या चयन बारे आपति से सम्बन्धित आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने की तिथि का निर्धारण किया जाये।
- निर्धारित तिथि तक प्राप्त ऐसे सभी आवेदन/आपति की सूची तैयार की जाये।
- विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई, 2018 और समसंख्यक पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत की वर्तमान बी0पी0एल0 सूची में दर्ज परिवारों के मुखिया से घोषणा पत्र यदि नहीं लिये गये हैं तो ऐसे सभी परिवारों से घोषणा पत्र ग्राम सभा बैठक की तिथि से पूर्व प्राप्त कर लिये जायें। बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन के साथ प्रत्येक आवेदककर्ता परिवार के मुखिया से निर्धारित घोषणा पत्र प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जाये।
- ग्राम सभा बैठक की निर्धारित तिथि से पूर्व खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा विकास खण्ड की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित पंचायत के सचिव, पटवारी/राजस्व विभाग प्रतिनिधि तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित एक स्थानीय कर्मचारी/पंचायती राज प्रतिनिधि सदस्य होगें ।
- इस कमेटी का यह दायित्व होगा कि बी0पी0एल0 चयन के लिए पूर्व निर्धारित माप दण्डों के अनुसार तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची में वर्तमान में दर्ज परिवारों, सूची में नाम दर्ज करने हेतु प्राप्त हुए आवेदन और किसी चयन पर आपति से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन की छानबीन करके सभी पात्र परिवारों की एक प्राथमिक सूची (Priority list) संयुक्त हस्ताक्षरों से तैयार करे। कमेटी द्वारा तैयार की गई इस प्राथमिक सूची को ग्राम सभा की निर्धारित बैठक में समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- ऐसी संवेदनशील ग्राम पंचायतें जहां ग्राम सभा की बैठक में झगड़ा होने की सम्भवना हो वहां बैठक में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस की मदद ली जाएगी ताकि सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक का आयोजन हो सके ।
- ग्राम सभा बैठक में किसी व्यक्ति के चयन पर विवाद होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा ।
- ग्राम सभा बैठक की कार्रवाही सभा स्थल पर बैठक के दिन ही पंचायत सचिव/सहायक द्वारा लिखी जानी सुनिश्चित की जाएगी । यदि ग्राम पंचायत में उपरोक्त पद रिक्त हो तो किसी अन्य कर्मचारी की डयूटि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु लगाई जाएगी । कार्रवाही रजिस्टर में कार्रवाही लिखे जाने के उपरान्त ग्राम सदस्यों को सभा स्थल पर पढ़कर सुनाई जाएगी ।

- ग्राम पंचायत के लिए बी0पी0एल0 परिवारों की जो संख्या निर्धारित है उसके दृष्टिगत ही ग्राम सभा के द्वारा केवल पात्र परिवारों का चयन ही किया जायेगा व चयन के उपरान्त ग्राम पंचायत की नवीनतम बी0पी0एल0 सूची तैयार की जायेगी ।
- जिन आवेदन या आपति को ग्राम सभा द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा या बी0पी0एल0 सूची से जिन परिवारों के नाम अपात्रता के कारण हटाये जाएंगें उन सभी का ब्यौरा भी कारणों सहित रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा।
- ग्राम सभा के निर्णय पर किसी व्यक्ति या परिवार को आपति हो तो विभाग के पत्र दिनांक 25 जून, 2015 में निर्धारित प्रकिया अमल में लाई जाएगी ।
- यदि कोरम के अभाव या अन्य किसी कारण से ग्राम सभा की बैठक निर्धारित तिथि को न हो सके तो आगामी रविवार को ग्राम सभा बैठक का पुनः आयोजन इस कार्य हेतु किया जाये ।
- समीक्षा के उपरान्त नवीनतम बी0पी0एल0 सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाने के साथ–साथ जिले की वेबसाईट पर अपलोड करवाना खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- बी0पी0एल0 सूची में अपात्र परिवारों के चयन से सम्बन्धित शिकायतें विभाग में विभिन्न स्तरों से प्राप्त होती हैं । इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए केवल पात्र परिवारों को ही ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची में चयनीत किया जाये ।
- बी0पी0एल0 चयन से सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की प्रतियां भी पुनः सूचनार्थ संलग्न है :

1. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी बी0पी0एल0 सर्वेक्षण गाईडलाईन–2002
2. पत्र संख्याःएस0एम0जे0–6/2002–आरडीडी–V दिनांक 28 जुलाई,2008
3. पत्र संख्याःएस0एम0जे0–120/2012–13–(बड)आरडीडी–1418–1584दिनांक 25 जून 2015
4. पत्र संख्याःएस0एम0जे0–6/2002–आरडीडी–V –5384–5462 दिनांक 22 अक्तुबर,2018
5. अधिसूचना संख्याःएस0एम0जे0–120/2012–13–(बड)आरडीडी–229–519 दिनांक 13 जुलाई,2018
6. पत्र संख्याःएस0एम0जे0–120/2012–13–(बड)आरडीडी–3177–3269 दिनांक 19 सितम्बर,2018
7. पत्र संख्याःपीसीएच–एचबी (15)06/2015–बेरोजगारी प्रमाण पत्र–48815 दिनांक 10 अगस्त, 2020 की प्रति अनुलग्नकों सहित

***